

278/2017

17/10/2017

पत्रावली पेश हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विवादित आराजी के संबन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण/वादीगण राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्विष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है तथा अपूरणीय क्षति का विन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही विन्दु प्रार्थीगण साबित नहीं कर पाए हैं।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

